प्रेस नोट

थाना - हाफिजपुर **दिनांक 01.06.2024**

थाना हाफिजपुर व पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी तरीके से अपने भाई का ड्राइविंग लाइसेंस/पहचान पत्र फर्जी प्रस्तुत कर PHENSEDYL COUGH SYRUP का परिवहन करने की घटना में बंगाल से वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाहीः-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हाफिजपुर व पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना रायगंज जनपद उत्तरी दिनाजपुर (वेस्ट बंगाल) के मु0अ0स0 1244/23 धारा 21(सी)/25/28/29 एनडीपीएस एक्ट मे वांछित शातिर अभियुक्त को ग्राम घुघराला से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बिलाल पुत्र नबाव अली निवासी ग्राम घुघराला थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया कि मै प्रतिष्ठित कम्पनीयो के माल को लेकर वेयर हाउस से लोड कर ले जाते समय ट्रांसपोर्ट कम्पनीयो द्वारा कनटेनर पर अपनी सील लगाई जाती है तो उसी सील को खोलकर हमारे द्वारा मेरठ ट्रांसपोर्ट नगर से उसी कंटेनर मे PHENSEDYL COUGH SYRUP दवाई की खेप को रख कर पुनः उसी तरीके से सील लगा दी जाती है। जिससे माल गंतव्य पर पहुंच जाता है ।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में जीएसटी के अधिकारियों द्वारा कंटेनर से भारी मात्रा मे दवाई की बरामदगी के दौरान अभियुक्त उपरोक्त फर्जी तरीके से अपने भाई शोएब जो सऊदी अरब में था, का ड्राइविंग लाइसेंस/पहचान पत्र देकर मौके से फरार हो गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना हाफिजपुर जनपद हापुड ।
3. उ0नि0 श्री तापस कुमार थाना रायगंज जनपद उत्तरी दिनासपुर (पश्चिम बंगाल) ।
4. है0का0 496 नितिन कुमार थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।
5. का0 दिवांकल घोस थाना रायगंज जनपद उत्तरी दिनासपुर (पश्चिम बंगाल)।